सामान्यजन संदेश

भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में

मधु लिमये

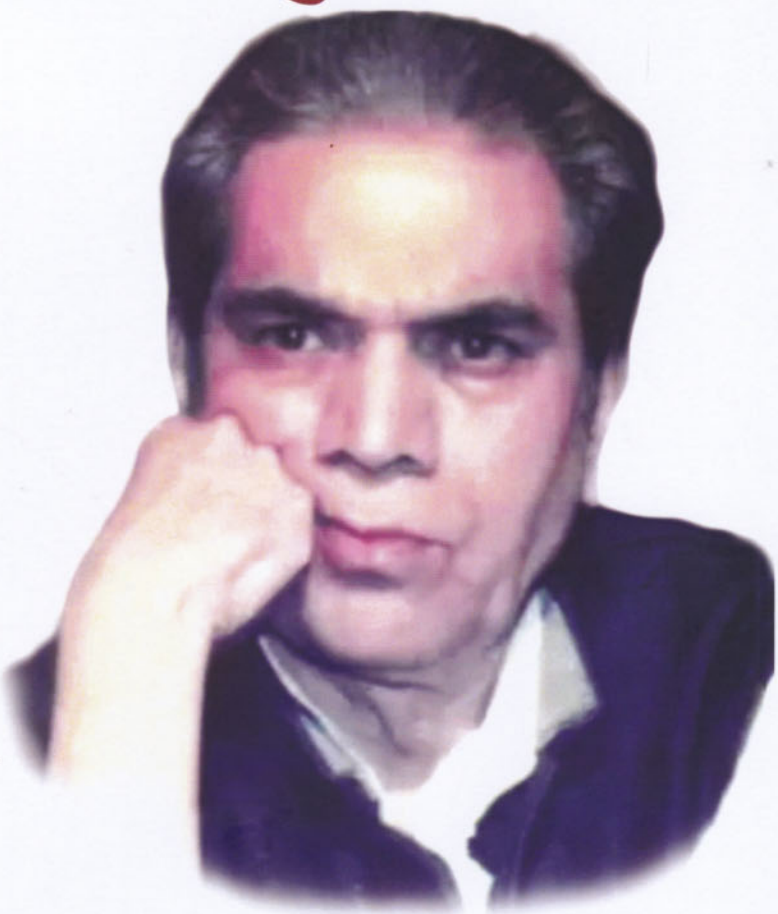

विशेषांक

दिनांक १७ अक्टूबर २०२२

लोहिया अध्ययन केन्द्र, नागपुर का प्रकाशन

Peer Reviewed Journal
ISSN : 2278-3180

सामान्यजन संदेश

विशेषांक

भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में

मधु लिमये

- **मुख्य संपादक**

संदीप तुंडूरवार
राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

डॉ. राहूल बावगे
प्रोफेसर एवं राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख
वसंतराव नाईक शासकीय कला एवं
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर

डॉ. अनुपकुमार सिंह
राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख
शासकीय कला महाविद्यालय,
लोधीखेडा, मध्यप्रदेश

- **सहसंपादक**

डॉ. रायण महाजन
राजनीतिशास्त्र विभाग
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय , नागपूर

डॉ. श्रीकांत शेंडे
राजनीतिशास्त्र विभाग
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

डॉ. भास्कर वघाळे
राजनीतिशास्त्र विभाग
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

परिक्षण समिती :

डॉ. वीरेन्द्र चवरे वि वि उज्जैन
डॉ. ख्यातीमय त्रिपाठी, ओरिसा
डॉ. राजेंद्र मुद्दमवार, राजुरा
डॉ. एस.एस.पालेकर, गुलबर्गा, कर्नाटक
डॉ. रविंद्र भणगे, कोल्हापूर
डॉ. रत्नाकर लक्षटे, देगलूर
डॉ. राम बुटले, यवतमाळ

प्रकाशन दिनांक : 17 अक्टूबर 2022

संरक्षक :
रघु ठाकुर
प्रकाश दुबे
सुरेश अग्रवाल
गिरीश गांधी

संपादक :
डा. ओमप्रकाश मिश्रा

संपादक मंडल :
हर्षवर्धन आर्य
टीकाराम साहू 'आजाद'

विशेष सहयोग :
डा. राहुल बावगे

प्रबंधक/प्रकाशक/सचिव :
सुनील पाटील
लोहिया अध्ययन केन्द्र
लोहिया भवन, सुभाष मार्ग,
नागपुर - 440 018
फोन : (0712) 2727438

आवरण चित्र :
लोहिया अध्ययन केन्द्र

सामान्यजन संदेश सदस्यों के लिए मूल्य विवरण :

मूल्य	-	रु. २५
वार्षिक	-	रु. १००
आजीवन	-	रु. २०००

सचिव :
सुनील पाटील द्वारा
छपवाकर लोहिया अध्ययन केंद्र,
लोहिया भवन, सुभाष मार्ग,
नागपुर से प्रकाशित

* यह पत्रिका शैक्षणिक कार्य हेतू नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

* पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल नागपुर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे।

* सभी पद मानद एवं अवैतनिक है।

* प्रकाशित रचनाओं के सभी विचारों से, मुख्य संपादक, संपादक, अतिथि संपादक एवं संपादक मंडल की सहमति जरूरी नहीं है। लेखों में प्रकाशित मत, सामग्री उनकी स्वयं की है एवं लेखकों के अपने निजी विचार है।

Peer Reviewed Journal
ISSN : 2278-3180

अनुक्रमणिका

1.	मधु लिमये स्मरण	– रघु ठाकुर	1
2.	दूरदर्शी विचारक : मधू लिमये	– डॉ. संतोष संभाजी डाखरे, डॉ. भगवान विश्वनाथ धोटे	3
3.	भारतीय लोकतंत्र मे विचारधारा संघर्ष : समाजवादी चिंतक मधू लिमये के चिंतन का विश्लेषणात्मक अध्ययन	– प्रा डॉ. ममता विजयराव पाथ्रीकर	6
4.	भारत की संसदीय पद्धति एवं मधु लिमये	– डॉ. अर्चना ज्ञा. पाटील	11
5.	गांधी और मधु लिमये का आर्थिक चिंतन	– भिमराव भिसे	13
6.	भारतीय एकता पर मधू लिमये के विचार	– डॉ. नितीन सुरेशराव कायरकर, डॉ. सचिन पत्रूजी भोगेकर	17
7.	गोवा मुक्ति संग्राम के योद्धा 'मधु लिमये'	– डॉ. संजय गोरे, डॉ. भास्कर वघाळे	22
8.	लोकतांत्रिक शख्सियत 'मधु लिमये'	– संदीप तुंडूरवार, डॉ. अमर बोंदरे, डॉ. संगीता सोमवंशी	26
9.	भारतीय लोकतंत्र में एकता और नैतिकता संबधी मधु लिमयेजी का दृष्टीकोण	– डॉ. उद्धव नरहरी कांबळे	29
10.	मधु लिमये यांचे अल्पसंख्यांक आणि धर्मनिरपेक्षतेबद्दलचे विचार	– राजकुमार सोमेश्वर कोडापे	31
11.	भारतीय राजकारणातील प्रमुख आव्हाने	– प्रा. डॉ. विलास आबा गायकवाड	35
12.	मधु लिमये एक असामान्य नेतृत्व	– प्रा. डॉ. अतुल हणमंत कदम	38
13.	राजकीय विकेंद्रीकरण आणि निकोप लोकशाहीच्या संदर्भात मधु लिमये यांचे योगदान एक राजकीय सिंहावलोकन	– डॉ. नितीन टी. कत्रोजवार	41
14.	आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि राजकारण	– डॉ. राहुल बावगे, डॉ. असिम खापरे	45
15.	स्वातंत्र्याची चळवळ आणि मधु लिमये	– डॉ. विकास बी. चांदजकर	50
16.	पक्षांतर आणि मधु लिमये	– प्रा. डॉ. विनोद को. गायकवाड	54
17.	भारतीय लोकशाहीच्या परिप्रेक्ष्यात मधु लिमये : एक चिकित्सक अध्ययन	– डॉ. सुभाष दौलतराव उपाते	57
18.	सामाजिक न्याय आरक्षण आणि मधु लिंमये	– प्रा. डॉ. संजय एम. अवधुत	62
19.	मधु लिमये : व्यासंगी, मनस्वी अन् तपस्वी नेता	– प्रा. डॉ. रविंद्र भणगे	65
20.	मधु लिमये : राजकीय पक्ष आणि निवडणूक सुधारणा	– प्रा. डॉ. प्रमोद मा. आचेगावे	71
21.	स्वातत्र्यांची चळवळ आणि मधु लिमये	– डॉ. निलेश अ. फटींग	74

22.	मधु लिमये यांचे चळवळीतील योगदान	– डॉ. नंदाजी राघोबाजी सातपुते, डॉ. राहुल प्रकाश चुटे	77
23.	मधु लिमये आणि सामाजिक न्यायाचा दृष्टीकोन	– डॉ. वकील टी. शेख, प्रा. किशोर एन नैताम	80
24.	मधू लिमये एक व्यक्तिमत्व	– डॉ. शरद सांबारे, डॉ. रायन महाजन, डॉ. श्रीकांत शेंडे	84
25.	समाजवादी चळवळीचे अध्वर्यू : मधु लिमये	– प्रा.(डॉ.) सुशांत चिमणकर	86
26.	मधु लिमये यांच्या धर्मनिरपेक्ष विचारांची प्रासंगिकता	– डॉ. राजेंद्र मुद्दमवार, डॉ. भूपेंद्र घरत	94
27.	मधु लिमयेची राजकीय जीवनातील नीतिमत्ता	– पौर्णिमा मेश्राम	99
28.	राष्ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य व राष्ट्रवाद	– डॉ. बन्सीलाल मस्के, डॉ. देविदास गाडेकर	102
29.	भारतीय लोकशाहीस प्रवाही ठेवण्यासाठी पक्षाअंतर्गत लोकशाहीची गरज	– अक्षय पिंपळशेंडे, वैभव कुबडे, प्रेमराज करडभाजने	104
30.	कोविड १९ च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेतील बदलांची गरज	– डॉ. तुषार निकाळजे	106
31.	Politics of Madhu Limaye in the Light of Siyasat Nama of Nizamul Mulk Tusi	- Prof. M. A. Siddiqui	109
32.	Madhu Limaye : An Astute Advocate of Gandhism and Marxism	- Dr. Somnath Barure	113
33.	Madhu Limayes Views on Democratic Socialism	- Samiksha Pali	116
34.	The Need for Democracy with in Party System in India	- Dr. Akbar Badsha	120
35.	Madhu Limaye : Role in Freedom Struggle & Goa Liberation	- Dr. Mubaraque Quraishi	122
36.	Madhu Limaye : The Staunch Republican	- Ankita Raju Khobragade, Dr. Seema S. Malewar	126
37.	Madhu Limaye's perspective on reservation and social status an analytical study	- Vikki S. Gajbhiye	131
38.	मधु लिमये होते तो आज संसद आम जन की होती	– डॉ. विरेन्द्र चावरे, डॉ. अनिल चंदेल	135
39.	संसदीय कार्य के रणनीतिकार के रुप में विख्यात	– मधु लिमये, डॉ. अभयकुमार गुप्ता	137
40.	मधू लिमये जी का भारतीय राजनिती मे योगदान	– प्रा. डा. प्रिया भा. बोचे	138
41.	भारतातील लोकशाही आणि नागरी समाज	– डॉ. हनुमंत फाटक	141
42.	मधु लिमये एक असामान्य नेतृत्व	– डॉ. अतुल हणमंत कदम	144
43.	निवडणूक सुधारणासंदर्भात मधु लिमये यांच्या विचारांची प्रासंगिकता	– डॉ. सुनील अखंडे	147

गोवा मुक्ति संग्राम के योद्धा 'मधु लिमये'

– डॉ. संजय गोरे
सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभागप्रमुख,
शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, गडचांदूर, जिल्हा चंद्रपूर
– डॉ. भास्कर वघाळे
राज्यशास्त्र विभाग, श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

सारांश

गोवा मुक्ति संग्राम का अन्तिम चरण लगभग 75 वर्ष पूर्व समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया द्वारा 18 जून 1946 को शुरू किया गया था। इसके लगभग पन्द्रह वर्ष बाद 19 दिसम्बर 1961 को गोवा, भारत सरकार द्वारा एक सैन्य ऑपरेशन 'विजय' के ज़रिये आज़ाद कराया गया। गोवा कोपुर्तगालियों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए 1946 से लेकर 1961 के बीच अनगिनत हिन्दुस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दीं।बहुत सारे लोग बरसों से पुर्तगाली जेलों में रहे और उनकी यातनायें सहीं। उनमें सेएक वीर सपूत का नामहै मधु रामचंद्र मधु लिमये आधुनिक भारत के विशिष्टतम व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराकर भारत में शामिल कराने मेंवह एक प्रतिबद्ध समाजवादी, एक प्रतिष्ठित सांसद, नागरिक स्वतंत्रता के हिमायती, एक विपुल लेखक होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति थे जिनका सारा जीवन देश के ग़रीब और आम आदमी की भलाई में गुज़रा और उनके के लिए वह तो उम्र समर्पित कर रहे थे। मधु लिमये देश के लोकतांत्रिक समाजवादी आंदोलन के करिश्माई नेता थे और अपनी विचारधारा के साथ उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। ईमानदारी, सादगी, तपस्या, उच्च नैतिक गुणों से संपन्न होने के साथ साथ, मधु लिमये पर महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के दर्शन का बहुत प्रभाव था जिसका उन्होंने जीवन भर अनुसरण किया और सार्वजानिक जीवन में अपना एक ख़ास स्थान बनाया। गोवा आज भारत का हिस्सा है तो इसका एक बड़ा श्रेय डॉ. राममनोहर लोहिया और उनके प्रिय शिष्य मधु लिमये को जाता है।

मुख्य शब्द : मधु लिमये, गोवा मुक्ती संग्राम, आंदोलन

प्रस्तावना

मधु लिमये का जन्म 1 मई 1922 को महाराष्ट्र के पूना में हुआ था। पूना के फर्ग्युसन कॉलेज में उच्च शिक्षा के समय से उन्होंने छात्र आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। बाद में वह एस एम जोशी, एन जी गोरे वगैरह के संपर्क में आए और अपने समकालीनों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी विचारधारा के प्रति आकर्षित हुए। 1939 में, जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तो उन्होंने सोचा कि यह देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का एक अवसर है। अंग्रेजो खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अक्टूबर 1940 में एक वर्ष के लिए धुलिया जेल में डाल दिया गया। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान लिमये भूमिगत हो गए, लेकिन सितंबर 1943 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 तक वे जेल में रहे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी विचारधारा के प्रति आकर्षित होकर उन्होंने 1950 के दशक में गोवामुक्ति आंदोलन में भाग लिया, जिसे डॉ. राम मनोहर लोहिया ने 1946 में शुरू किया था। अगस्त, 1942 में महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन का आह्वान किया, तो मधु लिमये वहां मौजूद थे। उसी समय गांधीजी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मधु अपने कुछ सहयोगियों के साथ भूमिगत हो गए और भूमिगत आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। गोवा की आजादी की खातिरसंघर्ष में मधुलिमये को 1955 से 1957 के बीच करीब दोसाल पुर्तगाली जेल में बिताने पड़े थे। एक प्रबुद्ध समाजवादी नेता के रूप में उन्होंने 1948 से लेकर 1982 तक विभिन्न चरणों में और अलग अलग भूमिकाओं में समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया।देश के समाजवादी आंदोलन के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक मधु लिमये ने समाजवादी आदर्शों को स्थापित करने में अहम् भूमिका निभाई और आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान वास्तव में जबरदस्त है।

शोधपत्र का हेतू

गोवा मुक्ती संग्राम मे मधु लिमये कि भूमिका अवगत करना.

शोधपत्र की परिकल्पना

भारतीय स्वातंत्र्यता आंदोलन के साथ साथ मधु लिमये का गोवा मुक्ती संग्राम मे महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है।

संशोधन पद्धती

इस शोध पत्र के लिये मधु लिमये के स्वातंत्र्यता आंदोलन के साथ साथ गोवा राज्य को पोर्तुगाल के हिरासत से मुक्त करणे के लिये जो आंदोलन मी सहभाग एवं नेतृत्व किया गया उसपर ध्यान केंद्रित किया गया साथ ही, विश्लेषणात्मक अनुसंधान संशोधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। साथ ही मधु लिमये जी के जीवनकाल एवं लेखन साहित्य पर भी लक्ष्य केंद्रित किया गया।

उल्लेखनीय है कि गोवा में 450 वर्षों से पुर्तगाली शासकों का शासन था। कोई भी काम करने से पहले पुर्तगाली शासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस डर के वातावरण को डॉ लोहिया ने तोड़ा। देश के समाजवादियों ने गोवा को मुक्त कराने का संकल्प लिया। नाना साहब गोरे और सेनापति बापट के नेतृत्व में जब जत्थे ने गोवा में प्रवेश किया तब पुलिस ने सभी सत्याग्रहियों को बेहोश होने तक पीटा तथा 20-20 साल की सजा दी गई, तत्पश्चात लगातार जत्थे जाते गए, गिरफ्तारियां और सजाए होती रही। नेशनल कांग्रेस गोवा और विमोचन सहायक समिति संगठन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन के दौरान कैसल रॉक गार्डन में गोली चालन हुआ जिसमें 39 आंदोलनकारी शहीद हुए। यह दुखद है कि अंग्रेजों के जलियांवाला हत्याकांड की चर्चा देश और दुनिया में होती है लेकिन कैसल रॉक गार्डन की नरसंहार की घटना को देश याद नहीं करता। राष्ट्रीय स्तर पर कभी शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती।

मधु लिमये ने 1950 के दशक में, गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया, जिसे उनके नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने 1946 में शुरू किया था। उपनिवेशवाद के कट्टर आलोचक मधु लिमये ने 1955 में एक बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व किया और गोवा में प्रवेश किया। पेड़ने में पुर्तगाली पुलिस ने हिंसक रूप से सत्याग्रहियों पर हमला किया। उन्हें पांच महीने तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। दिसंबर 1955 में पुर्तगाली सैन्य न्यायाधिकरण ने उन्हें 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन मधु लिमये ने न तो कोई बचाव पेश किया और न ही सजा के खिलाफ अपील की। एक बार जब वह गोवा की जेल में थे, तो उन्होंने लिखा था, 'मैंने महसूस किया है कि गांधीजी ने मेरे जीवन को कितनी गहराई से बदल दिया है, उन्होंने मेरे व्यक्तित्व और इच्छाशक्ति को कितनी गहराई से आकार दिया है।' उन्होंने जेल डायरी के रूप में एक पुस्तक 'गोवा लिबरेशन मूवमेंट और मधु लिमये' लिखी, जो 1996 में गोवा आंदोलन के शुभारंभ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रकाशित हुई थी।[1]

1957 में पुर्तगाली हिरासत से छूटने के बाद भी मधु लिमये ने गोवा की मुक्ति के लिए जनता को जुटाना जारी रखा और विभिन्न वर्गों से समर्थन मांगा तथा भारत सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए आग्रह किया। दिसंबर 1961 में गोवा आजाद हो कर भारत का अभिन्न अंग बना। संविधान और संसदीय मामलों के ज्ञाता मधु लिमये, 1964 से 1979 तक चार बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्हें संसदीय नियमों की प्रक्रिया और उनके उपयोग तथा विभिन्न विषयों की गहरी समझ थी। उनके विचार पर रेखांकित किया जा सकता है कि असामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। आपातकाल के दौरान पांचवीं लोकसभा के कार्यकाल के विस्तार के खिलाफ जेल से उनका विरोध इस बात की गवाही है। वह जनता पार्टी के गठन और आपातकाल के बाद केंद्र में सत्ता हासिल करने वाले गठबंधन में सक्रिय थे, उन्हें मोरारजी सरकार में मंत्री पद देने का प्रस्ताव भी किया गया, पर उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।[2] मधु लिमये ने लोकसभा में अपने प्रदर्शन की तरह अपने लेखन में भी तार्किक, निर्णायक, निर्भीक और स्पष्ट रूप से तथ्यों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पेश किया।

इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था। गोवा के आंदोलन को शुरू से ही देश के बाकी हिस्सों से समर्थन मिलता रहा जो अब काफी बढ चुका था। देश के हर हिस्से से गोवा की आज़ादी की आवाज़ उठ रही थी। 1955 में देश के बाकी राज्यों से सत्याग्रहियों ने गोवा की आज़ादी के लिये प्रयास तेज किये और अलग-अलग दिशाओं से हज़ारों सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश करने की कोशिश की। पुर्तगाली सरकार ने हिंसात्मक कार्रवाई की और सत्याग्रहियों पर फायरिंग कर दी। जिसमें 20 सत्याग्रहियों की मौत हो गई। आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार लगातार पुर्तगालियों के साथ बातचीत के ज़रिये शांतीप्रिय हल निकालने के लिए चर्चा करती रही। लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद करने से मना कर दिया। मामला

अंतर्राष्ट्रीय संस्था युनाइटेड नेशन तक गया। इस दौरान पुर्तगाली सैनिकों की हिंसक गतिविधियां भी जारी रहीं। नवंबर 1961 में साबरमती नाम के एक स्टीमर पर फायरिंग की गई जिसमें कई स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई। माना जाता है कि ये घटना आपरेशन विजय का तात्कालिक कारण बनी।अंततः तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से सैनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की। फिर शुरू हुआ आपरेशन विजय। जल, थल, वायु तीनों भारतीय सेनाओं ने 18 दिसबंर 1961 को गोवा की तरफ रुख कर दिया। और देखते-देखते मात्र 36 घंटों के अंदर ही पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण के लिये मज़बूर कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के उपनिवेश से मुक्त हुआ और तिरंगा लहराया गया।

भारतीय संविधान और संसदीय मामलों के ज्ञाता मधु लिमये, 1964 से 1979 तक चार बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्हें संसदीय नियमों की प्रक्रिया और उनके उपयोग तथा विभिन्न विषयों की गहरी समझ थी। स्वस्थ लोकतांत्रिक लोकाचार से प्रतिबद्ध होने के कारण, वह हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहे और असामान्य राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान भी अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। आपातकाल के दौरान पांचवीं लोकसभा के कार्यकाल के विस्तार के खिलाफ जेल से उनका विरोध इस बात की गवाही है।[3] उन्हें जुलाई 1975 से फरवरी 1977 तक मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों में 'मीसा' (MISA) के तहत हिरासत में रखा गया था। उस समय उन्होंने अपने युवा साथी शरद यादव के साथ आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के ज़रिये अपने और लोक सभा के कार्यकाल के अनैतिक विस्तार के विरोध में पांचवीं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मधु लिमये ने जेपी आंदोलन 1974-75 के दौरान और बाद में एकजुट विपक्षी पार्टी (जनता पार्टी) बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह जनता पार्टी के गठन और आपातकाल के बाद केंद्र में सत्ता हासिल करने वाले गठबंधन में सक्रिय थे उन्हें मोरारजी सरकार में मंत्री पद देने का प्रस्ताव भी किया गया लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। बाद में 1 मई, 1977 को उनके 55 वें जन्मदिन पर उन्हें जनता पार्टी का महासचिव चुना गया।[4] मधु लिमये ने 1982 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में 100 से अधिक पुस्तकें लिखीं। विपुल लेखक मधु लिमये ने लोकसभा में अपने प्रदर्शन की तरह अपने लेखन में भी तार्किक, निर्णायक, निर्भीक और स्पष्ट रूप से तथ्यों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पेश किया। हालाँकि वे 1982 से सक्रिय राजनीति से अलग थे लेकिन उन्होंने अपने कई लेखों के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अपनी चिंता जारी रखी।

मधु लिमये एक भारतीय समाजवादी निबंधकार और कार्यकर्ता थीं, जो विशेष रूप से 1970 के दशक में सक्रिय थीं। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी और जॉर्ज फर्नांडीस के साथी-यात्री, वह जनता गठबंधन में सक्रिय थे जिसने आपातकाल के बाद केंद्र में सत्ता हासिल की; वह, राज नारायण और कृष्णकांत के साथ, उस गठबंधन द्वारा स्थापित मोरारजी देसाई सरकार के पतन के लिए भी जिम्मेदार थे, इस बात पर जोर देकर कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य एक साथ वैकल्पिक सामाजिक या राजनीतिक संगठन का सदस्य नहीं हो सकता है।[5] दोहरी सदस्यता पर यह हमला विशेष रूप से जनता पार्टी के सदस्यों पर निर्देशित किया गया था जो जनसंघ के सदस्य थे, और जनसंघ के वैचारिक अभिभावक दक्षिणपंथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने रहे। इस मुद्दे के कारण 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और जनता गठबंधन का विनाश हो गयासेवानिवृत्ति में, 1980 के दशक के दौरान, उन्होंने लिखना जारी रखा; वह संवैधानिक मुद्दों पर विशेष रूप से सतर्क थे, जहां उन्होंने खुद को मीडिया में संविधान की रक्षा करने का काम उन लोगों के खिलाफ निर्धारित किया जो सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए इसे संशोधित करना चाहते थे, या वेस्टमिंस्टर प्रणाली को राष्ट्रपति के साथ बदलने के लिए, 'धीमी स्लाइड' के डर से निरंकुशता।उन्होंने श्रीमती गांधी की स्मृति के प्रति उतनी ही कम घृणा दिखाई, जितनी अपेक्षा की जा सकती थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए अपना गुस्सा सुरक्षित रखा, जो उन्हें लगता था कि निंदा से परे एक मानक स्थापित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया।[6]

राजस्थान से कोटा के आनंद खांडेकर, जयपुर से स्वर्गीय कृष्णा चंद सहाय और पापा शाह का नाम उल्लेखनीय है। आंदोलन के नेतृत्व कर्ताओं में पीटर अल्वरिस, डॉ. टीबी कुन्हा, शेरू भाई, त्रिदीब चौधरी, आत्माराम पाटिल, जगन्नाथ राव जोशी

तथा समाजवादी नेता एस एम जोशी शामिल थे। समाजवादी नेता मधु लिमये को 12 वर्ष की सजा आंदोलन के दौरान हुई थी। उन्होंने 19 महीने जेल में काटे थे। पुर्तगाली शासकों की क्रूरता इस बात से समझी जाती है कि उन्होंने आंदोलनकारियों को पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका की जेलों में कई वर्षों तक कैद रखा। गोवा मुक्ति संग्राम के बारे में भारत सरकार के द्वारा 18–19 दिसंबर 1961 की गई सैनिक कार्यवाही का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया जाता है लेकिन 14 वर्ष तक भारत के आजाद होने के बावजूद गोवा को क्यों गुलाम रहना पड़ा तथा भारत सरकार के द्वारा क्यों सैनिक कार्यवाही के लिए 14 वर्ष का इंतज़ार किया गया यह रहस्य बना हुआ है।[7] जिन सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय आज़ादी के तुरंत बाद करवा लिया उन्होंने या देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने क्यों गोवा को पुर्तगाल का गुलाम रहने दिया? इस सवाल का जवाब गोवावासी चाहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके सराहनीय योगदान के लिए मधु लिमये को भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया। उन्होंने संसद के पूर्व सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन को भी स्वीकार नहीं किया। मधु लिमये एक प्रतिबद्ध समाजवादी के रूप में हमेशा याद किये जायेंगे जिन्होंने निस्वार्थ और बलिदान की भावना के साथ देश देश की सेवा की।

संदर्भ :

1) Champa Limaye (1996). Goa Liberation Movement and Madhu Limaye. BR Publishing Corporation. ISBN 9788170189008.
2) Menezes Braganza, Berta. Goa Under Portuguese Rule, Socialist Congressman, I 4 (June 1, 1961).
3) Azavedo, Canno. Mahatma Gandhi and the GoanRevolution, .. Goa Today, (June, 1971).
4) नारायण, इकबाल (1976), स्टेट पॉलिटिक्स इण्डिया, द्वितीय संस्करण, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
5) https://www.amarujala.com/columns/opinion/madhu-limaye-recollection-of-the-warrior-of-goa-liberation-struggle
6) https://www.samvidhan.live/ongoing-campaigns/protest/dr-sunilam-on-goa-freedom-struggle-history/
7) Qurban Ali. Short Political Biography of Madhu Limaye.academia.edu

♦